प्रेस प्रकाशनी

अप्रैल-मई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने स्टाफ से कहा: हमारा लक्ष्य एक अलग पहचान बनाना है; उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक प्लैटिनम जयंती का विशेष लोगो जारी किया

2 अप्रैल 2009

1 अप्रैल 1934 को स्थपित भारतीय रिज़र्व बैंक वर्ष 2009-2010 को अपनी प्लैटिनम जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है।

प्लैटिनम जयंती (75 वर्ष) जन्म दिवस का महत्व भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास में मील का एक स्मरणीय पत्थर है तथा खुशी और उत्सव का अवसर है। यह अवसर भारतीय रिजर्व बैंक के विकास पर दृष्टिपात करने तथा यह सुनिश्चित करने का है कि ''देश के हित में इसकी मुद्रा और ऋण प्रणाली को परिचलित करने'' के हमारे अधिदेश को इस बदलते हुए वातावरण में किस प्रकार पूरा किया जाए ... भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जयंती समारोह की शुरुआत के अवसर पर आज भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचरियों को दिए गए अपने संदेश में डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि ''हमारा लक्ष्य प्रत्येक दिन प्रत्येक भारतीय के जीवन की एक अलग पहचान बनाने'' का होना चहिए।

गवर्नर ने इस अवसर पर एक विशेष लोगो भी जारी किया। यह लोगो राष्ट्रीय झंडे के रंगों का उपयोग करते हुए यह संकेत देता है कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ रिज़र्व बैंक की सुदृढ़ सहबद्धता है। इस लोगो में करेंसी नोट से लिया गया महात्मा गाँधी का चित्र भी है जो रिज़र्व बैंक और आम आदमी के बीच का संबंध है। संक्षेप में, यह लोगो रिज़र्व बैंक की अधिक दायित्वपूर्ण, प्रासंगिक, व्यावसयिक और प्रभावी सार्वजनिक नीति संस्था बने रहने की प्रतिबद्धता की निरंतरता को दर्शाता है। इस लोगो का उपयोग प्लैटिनम जयंती वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी पत्राचार में किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी प्लैटिनम जयंती मनाने के लिए शीघ्र ही एक विस्तृत योजना की घोषणा करेगा।

ऋण सूचना कंपनियाँ (सीआइसी) गठित करने के लिए चार कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक का सिद्धांतत: अनुमोदन

17 अप्रैल 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 अप्रैल 2009 को ऋण सूचना कंपनियाँ (सीआइसी) गठित करने के लिए चार कंपनियों को सिद्धांतत: अनुमोदन जारी किया है। ये कंपनियाँ हैं : (i) ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड, (ii) इक्वीफैक्स ऋण सूचना सेवा प्राइवेट लिमिटेड, (iii) भारतीय एक्सपेरियन ऋण सूचना कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और (iv) हाइमार्क ऋण सूचना सेवा प्राइवेट लिमिटेड।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऋण सूचना कारोबार जारी रखने/शुरू करने में अभिरुचि रखनेवाली कंपनियों से आवेदनपत्र आमंत्रित किया है। इसे 13 आवेदनपत्र प्राप्त हुए। रिज़र्व बैंक ने प्राप्त आवेदनपत्रों पर विशेषज्ञ राय प्राप्त करने और उन कंपनियों की अनुशंसा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय परामर्शदात्री समिति (एचएलएसी) का गठन किया है जिस पर रिज़र्व बैंक किसी ऋण सूचना कंपनी के रूप में जारी रहने अथवा गठित करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वीकृति पर विचार कर सकता है।

बाज़ार स्थिरीकरण योजना शेषों को मुक्त करना

5 मई 2009

अपनी नकदी स्थिति की समीक्षा करते हुए भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से अब यह निर्णय लिया है कि दिनांक 2 मई 2009 को बाज़ार स्थिरीकरण योजना नकदी खाते से 28,000 करोड़ रुपए की रशि का अंतरण भारत सरकार के सामान्य नकद खाते में किया जाए। तदनुसार राजकोषीय वर्ष 2009-10 के लिए समतुल्य राशि की सरकारी प्रतिभूति भारत सरकार के सामान्य उधार का हिस्सा बनेगी।

यह स्मरण होगा कि बाज़ार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) पर समझौता ज्ञापन में किए गए संशोधन के अनुसरण में 4 मार्च 2009 को 12,000 करोड़ रुपए की रशि बाज़ार स्थिरीकरण योजना नकद खाते से भारत सरकार के सामान्य नकद खाते में अंतरित की गयी थी। तदनुसार सममूल्य राशि की सरकारी प्रतिभूतियां राजकोषीय वर्ष 2008-09 के लिए भारत सरकार की सामान्य उधार का एक हिस्सा बनीं। यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार की उभरती हुई निधि आवश्यकताओं के आधार पर राजकोषीय वर्ष 2009-10 में बाज़ार स्थिरीकरण योजना की शेष रशियों में से 33,000 करोड़ रुपए की रशि अनुमोदित बाज़ार उधार कार्यक्रम के लिए मुक्त कर दी जाए, या पुनः खरीद की जाए।

2 मई 2009 को बाज़ार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत बकाया रशि 42,773 करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) है।

भारतीय रिज़र्व बैंक 6 मई से केवल एक चलनिधि समायोजन सुविधा आयोजित करेगा

5 मई 2009

वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 6 मई 2009 से पूर्वाह्न 9.30 बजे से 10.30 बजे के बीच केवल एक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) आयोजित की जाएगी। द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा केवल रिपोर्टिंग शुक्रवार को अपराह्न 4.00 बजे से 4.30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। चलनिधि समायोजन सुविधा से संबंधित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आपको यह याद होगा कि 16 सितंबर 2008 को रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ यह घोषणा की थी कि द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा अगली सूचना दी जाने तक दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जाना

6 मई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्रम सं.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने की तारीख
1.	मेसर्स आल्पस मोटर फाइनान्स लिमिटेड	फ्लैट यु. साउथ पटेल नगर मार्केट, नई दिल्ली-110008	25 मार्च 2009
2.	मेसर्स अलायन्स टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	7, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110002	01 अप्रैल 2009
3.	मेसर्स राहुल फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड	जी-8/941, सेक्टर 15, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	01 अप्रैल 2009
4.	मेसर्स द्वारका लिजिंग लिमिटेड	एफ-21, ए पहली मंजिल, बी रोड, लाडो सराई, नई दिल्ली-110030	01 अप्रैल 2009
5.	मेसर्स अभिवादन कैपिटल सविसेज़ (प्रा.) लिमिटेड	इ-4/21, पहली मंजिल, कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110051	01 अप्रैल 2009
6.	मेसर्स बी.वी. लिजिंग लिमिटेड	2994 /2-बी रणजित नगर, पो.ऑ.पटेल नगर, नई दिल्ली-110008	01 अप्रैल 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभषित किया गया है।

मेसर्स अलिशान सिक्यूरिटीज एण्ड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जाना

11 मई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स अलिशान सिक्यूरिटीज एण्ड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-124/1, वजीरपूर इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-110052 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 25 मार्च 2009 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभषित किया गया है।

डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर के हस्ताक्षर से महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 में दोनों संख्या पटलों में 'एल' इनसेट लेटर के 500 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करना

13 मई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही दोनों संख्या पटलों में 'एल' इनसेट लेटर के साथ डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर के

हस्ताक्षर से महात्मा गांधी श्रृंखला- 2005 में 500 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा। इनसेट लेटर में परिवर्तन को छोड़कर जारी किये जानेवाले इन बैंक नोटों की डिज़ाइन, 21 अक्तूबर 2005 को जारी की गयी अतिरिक्त/नई सुरक्षा विशेषताओं सहित, हर तरह से महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के बैंक नोटों के समान होगी। रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए 500 रुपये मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड की बैठक आज बंगलूरू में आयोजित

14 मई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक आज बंगलूरू में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अर्थिक, मौद्रिक और वित्तीय गतिविधियों तथा विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने एवं वृद्धि की गति में नरमी को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की समीक्षा की गई। डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर ने इसकी अध्यक्षता की।

केंद्रीय बोर्ड की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः श्री वाइ.एच.मालेगाम, प्रो. यू.आर. राव, श्री लक्ष्मी चंद, श्री एच.पी.रनिना, डॉ. अशोक गांगुली, श्रीमती शशि राजगोपालन, डॉ. ए.वैद्यनाथन, प्रो. एम.एम.शर्मा, श्री संजय लाब्रू और श्री अशोक चावला, वित्त सचिव, भारत सरकार। रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. राकेश मोहन, श्रीमती श्यामला गोपीनाथ और श्रीमती उषा थोरात भी इस बैठक में उपस्थित थीं।

रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। बोर्ड ने प्रत्येक वर्ष मुंबई, चेन्नै और कोलकाता में बैठकें आयोजित करना निर्धारित किया है। बजट के उपरांत बोर्ड की बैठक पारंपरिक रूप से नई दिल्ली में आयोजित की जाती है जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संबोधित किया जाता है। बोर्ड की अन्य बैठकें शेष राज्यों की राजधनियों में बारी-बारी से आयोजित की जाती हैं। रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य इसके कार्यों को समग्र दिशा प्रदान करना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की केंद्रीय बोर्ड की बैठक के पूर्व रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री श्री बी.एस.एदुरप्पा के साथ बैठक की। बैठक में लिया गया महत्त्वपूर्ण निर्णय कर्नाटक राज्य में वित्तीय साक्षरता का पहला कार्यक्रम शुरू किया जाना था। राज्य सरकार के सहयोग से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए जाने वाले इस कार्यक्रम में कर्नाटक के विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में वित्तीय और उससे संबंधी सामग्री शामिल की जाएगी। अनौपचरिक शिक्षण में भी वित्तीय साक्षरता को एक भाग के रूप में शमिल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बैठक में मुख्य मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कृषि और कमज़ोर वर्गों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए बैंकों का सहयोग महत्त्वपूर्ण है। मुख्य मंत्री ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि शिक्षा ऋण का प्रवाह असंतोषजनक है। उन्होंने गवर्नर से अनुरोध किया कि वे बैंक के साथ बात करें कि वे अपने विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार को सहयोग दें।

इसके बाद गवर्नर ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकरियों, वणिज्यिक बैंकों और कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करनेवाली वित्तीय संस्थाओं के साथ बैंकिंग से संबंधित राज्य विशिष्ट मामलों पर चर्चा के लिए बैठक की। बैठक में की गई चर्चा के अनुसरण में निम्नलिखित निर्णय लिए गएः

क) कर्नाटक के 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँवों को 31 मार्च 2010 तक स्वैच्छिक और

स्वतःस्फूर्त वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए लक्षित किया जाएगा।

ख) कर्नाटक राज्य के सभी गांवों के परिवारों को, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा फोटो पहचान कार्ड जारी किया गया है, 31 मार्च 2010 तक 'नो फ्रिल्स' खाते खोलकर वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत शमिल किया जाएगा।

ग) वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता पर ध्यान देने हेतु 31 मार्च 2009 को मौजूद सभी 'नो फ्रिल्स' खातों में से कम से कम 50 प्रतिशत खातों को 31 मार्च 2010 तक सक्रिय किया जाएगा।

घ) राज्य सरकार द्वारा शिक्षा ऋणों के लिए ब्याज राहत प्रदान करने संबंधी विषय सहित शिक्षा ऋण प्रदान करने की क्रियाविधियों और पद्धतियों को सरल बनाने संबंधी विभिन्न विषयों को संबोधित करने के लिए एक विशेष राज्य स्तरीय बैंकर समिति का आयोजन किया जाएगा तकि आनेवाले शैक्षिणिक सत्र के लिए शिक्षा ऋण के आवेदनों की भारी संख्या से निपटने के लिए तैयारी पूरी की जा सके।

ङ) राज्य स्तरीय बैंकर समिति की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संगठनों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी तकि लघु और मध्यम उद्यमों को देय भुगतानों के लिए बड़ी कंपनियों को दी गई ऋण सुविधाओं की उप-सीमा निर्धारित करने की भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकता के कार्यान्वयन के विषयों की पहचान की जा सके और उसे समझा जा सके।

च) कर्नाटक राज्य में एनआरइजीए योजना, पेंशन इत्यदि के लाभर्थियों को भुगतान करने हेतु इलैक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (इबीटी) से संबंधित सभी मामलों का समाधान किया जाए तकि 15 अगस्त 2009 तक इबीटी को संपूर्ण रूप दिया जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/ उसके पुनर्गठन पर ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों पर अभिमत मांगे

14 मई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ''सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग /उसके पुनर्गठन पर ड्राफ्ट दिशा-निर्देश'' जनता से अभिमत/विचार प्राप्त करने के लिए जारी किए। कृपया ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों पर अपने अभिमत/विचार अंतिम तारीख 29 मई 2009 तक डाक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400001 को प्रेषित करें अथवा इ-मेल करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक प्राप्त विचारों/प्रतिसूचनाओं की जाँच करने के बाद दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देगा और उसे जारी करेगा।

विपणनयोग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए निर्गम कैलेण्डर

18 मई 2009

1 अप्रैल 2009 से 30 सितंबर 2009 की अवधि को शमिल करते हुए वर्ष 2009-2010 की पहली छमाही के लिए 2,41,000 करोड़ रुपए की विपणनयोग्य दिनांकित प्रतिभूतियों का एक सांकेतिक कैलेण्डर 26 मार्च 2009 को जारी किया गया।

सरकार की उभरती हुई अपेक्षाओं, बाज़ार स्थितियों और अन्य संगत कारकों की समीक्षा के उपरांत भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से यह निर्णय लिया है कि 15-29 मई 2009 की अवधि के दौरान आयोजित होनेवाली दो नीलमियों में से प्रत्येक में दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम आकार को बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपए किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को आम जनता के अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला

21 मई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को आम जनता के अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट www.rbi.org.in पर डाल दिया है। अभिमत 20 जून 2009 तक अथवा इसके पहले डाक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 को भेजे जा सकते हैं अथवा 022-22610948 पर फैक्स किए जा सकते हैं अथवा इ-मेल किए जा सकते हैं।

तयशुदा लेनदेन प्रणाली -भारत सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी से संबंधित परिचालनात्मक प्रक्रियाओं में परिवर्तन

22 मई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया है कि भारत सरकार प्रतिभूतियों की नीलमियों में बोलियाँ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के तरीके में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाए ताकि नीलामी प्रक्रिया की दक्षता खासकर अपराह्न 2.30 बजे तक नीलमियों के परिणाम की शीघ्र घोषणा में सुधार लाया जा सके।

1. दिनांकित प्रतिभूतियाँ

क. प्रतिस्पर्धी बोलियाँ

सभी प्रतिस्पर्धी बोलियाँ तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जाएं। एनडीएस सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्ति अपनी प्रतिस्पर्धी बोलियाँ किसी एनडीएस सदस्य के माध्यम से संचलित करें। प्रतिस्पर्धी बोलियाँ नीलामी की तारीख को पूर्वाह्न 10.30 बजे और अपराह्न 12.30 बजे के बीच जैसकि अब तक होता रहा है, प्रस्तुत की जा सकती है।

ख. गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ

गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी योजना के अंतर्गत नीलामी में भाग लेने के इच्छुक खुदरा और पात्र सांस्थिक निवेशकों से यह अपेक्षित होगा कि वे किसी बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी के पास एक गिल्ट खाता रखें। इस योजना के अतर्गत कोई निवेशक किसी बैंक अथवा किसी प्राथमिक व्यापारी के माध्यम से किसी दिनांकित प्रतिभूति की एक नीलामी में एक ही बोली प्रस्तुत कर सकता है। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ एनडीएस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में पूर्वाह्न 10.30 और 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जा सकती है। **गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी योजना के अंतर्गत पूर्वाह्न 11.30 बजे के बाद कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।**

ग. भौतिक स्वरूप में बोलियाँ

कोई भी बोली चाहे वह प्रतिस्पर्धी अथवा गैर-प्रतिस्पर्धी हो अबसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथनिर्दिष्ट असाधारण स्थितियों को छोड़कर भारत सरकार प्रतिभूतियों की नीलमियों में भौतिक स्वरूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

2. खज़ाना बिल

क. प्रतिस्पर्धी बोलियाँ

खज़ाना बिल नीलमियों में प्रतिस्पर्धी बोलियाँ जैसकि अब तक होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में पूर्वाह्न 10.30 और अपराह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जाएंगी लेकिन कोई भी भौतिक बोली भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथनिर्दिष्ट असाधारण स्थितियों को छोड़कर स्वीकार नहीं की जाएगी।

ख. गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ

खज़ाना बिलों के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी योजना के अंतर्गत बोली लगाने के लिए पात्र निवेशक अगली सूचना तक भौतिक बोलियाँ प्रस्तुत करना जारी रख सकते हैं। ऐसी गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ पूर्वाह्न 11.30 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है।

उपर्युक्त परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

यह स्मरण होगा कि वर्ष 2008-09 के लिए वर्षिक नीति वक्तव्य में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के समरूप सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक बाज़ार नीलमियों में समग्र दक्षता के सुधार की दृष्टि से विद्यमान नीलामी प्रक्रियाओं की समीक्षा और नीलामी प्रक्रिया पूरी होने में लगनेवाले समय में कमी लाने हेतु सुझाव देने के लिए एक आंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री एच.आर.खान) के गठन की घोषणा की गई थी। वर्ष 2009-10 के लिए वर्षिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई थी कि कार्यदल द्वारा की गई कुछ अनुशंसाओं को शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा। नीलामी प्रक्रिया में उपर्युक्त परिवर्तन कार्यदल की अनुशंसाओं के अनुरूप हैं।

रिजर्व बैंक ने सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर का लाइसेंस रद्द किया

29 मई 2009

सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर (म.प्र.) के अर्थक्षम न रह जाने और मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश मई 27, 2009 को कारोबार की समप्ति के बाद जारी किया। मध्य प्रदेश राज्य की सहकारी समितियों के रजिस्टार से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमारशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त 5, 1982 को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया गया था। जून 30, 2004 की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो जाने के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत जनवरी 15, 2005 के कारोबार समप्ति को बैंक को निर्देश जारी किए गए जिसके अनुसार बैंक के परिचालनों पर प्रतिबंध लगाया गया। अगले दो अर्थात 31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2008 के सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिले कि बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हो गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को सितम्बर 19, 2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें यह कहा गया कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ सूचना के उत्तर की जांच की गयी। स्थिति में सुधार तथा बैंक के पास पुनर्जीवित करने हेतु कोई व्यवहार्य कार्य योजना नहीं थी। स्थिति में सुधार तथा अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य कार्य योजना के अभाव में बैंक के पुनर्जीवित किए जाने की कोई आशा नहीं थी। अत:बैंक के जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने लाइसेंस रद्द करने का कठोर निर्णय लिया। लाइसेंस रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर

(म.प्र.) के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमारशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेंस रद्द किये जाने के अनुसरण में सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर (म.प्र.)पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमारशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री आर एन स्वामी, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल से सपर्क कर सकते हैं। उनका पता निम्नानुसार हैः

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, होशंगाबाद रोड, भोपाल, टेलीफोन नंबर : (0755) 2555072 /2762485 फैक्स नंबर : (0755) 2554515।